

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा एवं पदेन उपसचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / ..... / अ-82 / 2021  
प्र.क्रमांक 02 / अ-82 / 2020-21

जांजगीर, दिनांक 27/4/2022

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की साराडीह बैरॉज योजना के डूबान क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसमें एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा-19 की तहत् यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन :-

1. जिला - जांजगीर चांपा
2. तहसील - डभरा
3. ग्राम/नगर - साराडीह/प.ह.नं. 29
4. भूमि का क्षेत्रफल - 9.568 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
1/1	0.109
326	0.765
339	0.231
340/1	0.558
351/3	0.040
352/2 ग	0.040
352/1 ग	0.040
353/1 घ	0.040
352/1 घ	0.040
353/1 ङ	0.040
352/1 ङ	0.040
353/1 च	0.040
381/7	0.020
381/8	0.016
382	0.243
383	0.239
388/8	0.186
402/1	0.117

412/1	0.069
412/3	0.121
414	0.045
416/2	0.728
416/5	0.911
416/9	0.081
416/10	0.081
416/11	0.081
422	0.069
425	0.040
426	0.206
672/4	4.492
योग 26	9.568

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( दिव्या अग्रवाल )  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी डभरा

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)  
कलेक्टर  
जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

